न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 259/2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
श्रीमती रसाल कंवर पत्नी स्व0 जसवन्तसिंह निवासी– बलून्दा, हाउस, जालोरी बार के अन्दर, तहसील व जिला जोधपुर।		1. लोकेन्द्रसिंह पुत्र स्व. महेन्द्रसिंह निवासी– बलून्दा, हाउस, जालोरी बार के अन्दर, तहसील व जिला जोधपुर। 2. जसवंतकंवर उर्फ अरूणा बेवा स्व. महेन्द्रसिंह निवासी– शंखवास हाउस, मगराज का टांका, मण्डोर रोड, जोधपुर 3. ग्राम पंचायत कुलथाना 4. तहसीलदार रोहट पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेष दिनांक 29.11.2021 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रोहट जिला पाली के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 03/2019 अनवान जसवन्तकंवर बनाम लोकेन्द्रसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री अनोप सिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुगनमल एवं श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो.सं0 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्टस ने यह द्वितीय राजस्व अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रोहट जिला पाली के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 03/2019 अनवान जसवन्तकंवर बनाम लोकेन्द्रसिंह वगैराह में पारित किये आदेश दिनांक 29.11.2021 के विरूद्ध दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस सुनी। रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता द्वारा केविएट पेश किया गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रथम अपील यह कथन करते हुए प्रस्तुत की कि ग्राम उमकली तहसील रोहट के ख0सं0 88/1 रकबा 128 किस्म बारानी भूमि आई

हुई है जिसके पूर्व खातेदार महेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह थे जिनके देहान्त उपरान्त विरासत का नाम संख्या 520 दिनांक 17.01.2019 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त नामा0 स्वीकृत करते समय स्व. महेन्द्रसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों की कोई जॉच नहीं की तथा न ही उन्हें नोटिस जवाब, सुनवाई, साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया। मात्र रेस्पो0 संख्या एक को वारिसान होना बताया जबकि नामा0 भरते समय उनकी प्रथम विवाहिता धर्मपत्नि अपीलान्ट यानि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 जीवित थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार रोहट को प्रतिप्रेषित करते हुए नामा0 संख्या 520 को निरस्त कर मृतक खातेदार महेन्द्रसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच कर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्तु नामा0 पर विधिसम्मत आदेश पारित करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 को पारित किया है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक लोकेन्द्रसिंह द्वारा अपीलार्थीया को बेचान करने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 2 ने जानबूझ कर अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया क्योंकि रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा प्रथम अपील पेश करने के पूर्व ही उक्त वादग्रस्त भूमि के आराजी 1/8 हिस्से की खातेदारी भूमि को जरिये बेचान दस्तावेज के दिनांक 23.01.2019 बहक किरणकंवर भाटी पत्नी राजसिंह, रसाल कंवर पत्नि जसवंतसिंह वगैराह एवं 1/8 हिस्सा भूमि को रजिस्टर्ड बख्शीसनामा दिनांक 24.1.19 बहक सन्नी देवडा पत्रु लोकेन्द्रसिंह के पक्ष में निष्पादित कर दिये जिसके आधार पर अपीलार्थीया अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 से व्यथित पक्षकार होने से यह अपील प्रस्तुत कर रही है जिसकी अनुमति प्रदान की जावें।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा खातेदार महेन्द्रसिंह की मृत्यु के लगभग 22 वर्ष पश्चात अपील पेश की। महेन्द्रसिंह की पत्नी शोभाकंवर थी न की रेस्पो0 संख्या 2। दो पत्नियों के मध्य विवाद होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय से हक–हकूक तय हो सकते है न कि नामा0 कार्यवाही के जरिये। ग्राम पंचायत कुलथाना व पटवारी हल्का द्वारा मजमे आम में नामा0 संख्या 520 पेश किया एवं सभी से पूछताछ कर ग्राम पंचायत की कार्यवाही दिनांक 17.9.2019 के प्रस्ताव संख्या 3 लेकर नामा0 को स्वीकृत किया था, परन्तु रेस्पो0 संख्या 2 ने प्रथम

अपील में गलत तथ्य अंकित करते हुए गुमराह कर अपील पेश की थी एवं मुझ खरीददार को पक्षकार नहीं बनाया, ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। किसी भी रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का विपरित आदेश पारित करने से पूर्व उनको सुनवाई व पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना काननून आवश्यक है।लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में हम अपीलान्ट को जो वादग्रस्त भूमि के वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार है, को न तो पक्षकार संस्थित किया गया और न ही अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान दिया। रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा भी भूमि के बेचान हो जाने वाले वास्तविक तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय को अवगत नहीं कराया। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2021 को निरस्त किया जावें।

5. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत केविएट अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो विधि अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखने योग्य है। श्री महेन्द्रसिंह की मृत्यु दिनांक 13.6.1968 को हो गई थीं जो रेस्पो0 संख्या 01 के पिता व रेस्पो0 संख्या 02 के पति है, जिनके स्वर्गवास उपरान्त वादग्रस्त भूमि का विरासत का नामा0 संख्या 520 दिनांक 17.1.19 को ग्राम पंचायत कुलथाना के द्वारा बिना विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच किये ही केवल रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जबकि रेस्पो0 संख्या दो भी तत्समय से उनकी पत्नी के रूप में जीवित रही है जिनका नाम भी विरासत के नामा0 में उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज होना चाहिये था। उक्त नामा0 संख्या 520 के रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में स्वीकृत होने की जानकारी होने पर उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके कथनों/दस्तावेजों पर गौर करने के उपरान्त प्रकरण तहसीलदार रोहट को प्रतिप्रेषित कर नये सिरे से नामा0 दर्ज करने का आदेश प्रसारित किया था जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

6. वर्तमान अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी द्वितीय अपील में यह अंकित किया जाना कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में उन्हें पक्षकार संस्थित नहीं किया गया

और उन्हें सुनवाई, पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है जबकि वे भी जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि के मालिक रहे है। इस सम्बन्ध में रेस्पो0 संख्या 01 को उक्त विरासत के नामा0 के आधार पर जो हक–हकूक प्राप्त हुए थे, वो नामा0 संख्या 520 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है ऐसे में अपीलार्थी को किसी प्रकार से कोई हक–अधिकार उक्त वादग्रस्त भूमि में नहीं बनते है, अगर उनके द्वारा भूमि खरीद कर भी ली है तो उस हेतु वो स्वयं जिम्मेवार है कि उनके द्वारा सम्पूर्ण जानकारी लेने के उपरान्त ही भूमि खरीद की कार्यवाही करनी चाहिये थी। अतः अपीलार्थीया की द्वितीय अपील अस्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

7. हमने अपीलार्थीया एवं रेस्पो0 संख्या 2 केविएट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश में प्रकरण तहसीलदार रोहट को स्व0 महेन्द्रसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अधिनस्थ न्ययालय द्वारा के समक्ष प्रस्तुत हुई प्रथम अपील में रेस्पो0 संख्या 1 ने उन्हें न तो पक्षकार संस्थित किया गया और न ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त खसरान भूमि के वर्तमान में दर्ज क्रेताओं/खातेदारों को अपना पक्ष रखने व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान दिया है। जबकि उनके द्वारा रेस्पो0 संख्या एक से उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्से को जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर दिनांक 24.01.2019 को खरीद की है।

8. ऐसे में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित आब्जर्वेशनों के परिप्रेक्ष्य में हमारी विनम्र राय में अधिनस्थ न्ययालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए स्व. महेन्द्रसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच एवं उनको सुनवाई का अवसर दिये जाने के साथ–साथ अपीलार्थी को भी सुनवाई व व पक्ष रखने समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यथोचित आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार रोहट को निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, रोहट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए स्व. महेन्द्रसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच एवं उनको सुनवाई का अवसर दिये जाने के साथ–साथ वर्तमान अपीलार्थी श्रीमती रसालकंवर को भी सुनवाई व व पक्ष रखने समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार रोहट को निर्देशित किया जाता है। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण के अन्तिम निर्णय तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति भी बनाई रखी जावें। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर,2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर